

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026 — माघ 10, शक 1947

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2026

अधिसूचना

File No. RULE/125/2026-EXCISE(03).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ.), (छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों —

नियम 8 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 8(घ) प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्—

नियम 8 (घ) दिनांक 01-04-2026 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए वेयर हाउस/गोदाम से मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी

सारणी

क्रं.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2026-27 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1.	देशी मदिरा :- मसाला — 25.0 UP प्लेन — 50.0 UP	रुपये 435/- प्रति पूफ लीटर
2.	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :-	
	1. रुपये 900/- तक	रुपये 475/- प्रति पूफ लीटर
	2. रुपये 901/- से 1250/- तक	रुपये 675/- प्रति पूफ लीटर
	3. रुपये 1251/- से 1850/- तक	रुपये 805/- प्रति पूफ लीटर
	4. रुपये 1851/- से 2400/- तक	रुपये 970/- प्रति पूफ लीटर

	5. रुपये 2401/- से 3500/- तक	रुपये 1090/- प्रति प्रूफ लीटर
	6. रुपये 3501/- से 4500/- तक	रुपये 1155/- प्रति प्रूफ लीटर
	7. रुपये 4501/- से 6500/- तक	रुपये 1210/- प्रति प्रूफ लीटर
	8. रुपये 6501/- से 8500/- तक	रुपये 1280/- प्रति प्रूफ लीटर
	9. रुपये 8501/- से 11,000/- तक	रुपये 1335/- प्रति प्रूफ लीटर
	10. रुपये 11,001/- और उससे अधिक	रुपये 1400/- प्रति प्रूफ लीटर
3.	बीयर (माल्ट) मदिरा:- प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रुपये 100/-प्रति ब.ली. तक (2) रुपये 101/- से 120/-प्रति ब.ली. तक (3) रुपये 121/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक	ड्यूटी दर (1) रुपये 120/- प्रति ब.ली. (2) रुपये 140/- प्रति ब.ली. (3) रुपये 175/-प्रति ब.ली
4.	विदेशी मदिरा स्पिरिट (वाईन) :- विदेशी मदिरा स्पिरिट (वाईन) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :-	
	1. रुपये 3500/- तक	रुपये 475/- प्रति प्रूफ लीटर
	2. रुपये 3501/- और उससे अधिक	रुपये 805/- प्रति प्रूफ लीटर
5.	रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverage) 10 प्रतिशत (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) रेडी टू ड्रिंक पेय	रुपये 475/- प्रति प्रूफ लीटर
6.	सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :-	
	(क)विदेशी मदिरा (स्पिरिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक)	वर्ष 2026-27 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रुपये 475/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	वर्ष 2026-27 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रुपये 120/- प्रति बल्क लीटर

टीप:- भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं माल्ट) (Blended & Bottled Outside India) पर प्रदेश में आयात शुल्क समाप्त करते हुए प्रदेश में प्रचलित आबकारी शुल्क अधिरोपित किया जाता है।

2. उक्त संशोधन दिनांक 01-04-2026 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2026

File No. RULE/125/2026-EXCISE(04).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मदिरा के प्रदाय पर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो, निम्नानुसार अधिरोपित करता है :-

क्र.	मदिरा का प्रकार	काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो
1.	देशी मदिरा	लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत
2.	विदेशी मदिरा	(स्प्रिट/वाईन / रेडी टू ड्रिंक)
	(माल्ट)	लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत

2. उपरोक्त काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क का भुगतान, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के देशी मदिरा भंडारण-भण्डागार/विदेशी मदिरा गोदाम में मदिरा प्रदाय के पूर्व किया जाना आवश्यक होगा।

3. विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2024/वा.कर(आब.)/पांच(60), दिनांक 11-07-2024 को एतद्वारा, निरसित किया जाता है।

4. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2026 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.